तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6/3/2026	पत्रावली पेश हुई। वकु. 34.1 प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128 LR Act के तहत स्वीकार किया जाकर मुड़ी गटाई के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)
(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 11/2025
किस्म प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट
निर्णय दिनांक 6/3/2026

1. गोपालराम पुत्र मंजू जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बतासी पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई।
2. ओमप्रकाश पुत्र ग्यासीराम जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई।
3. चन्द्रवीर सिंह पुत्र ग्यासीराम जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई।
4. राजवीर सिंह पुत्र ग्यासीराम जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई।
5. विमला देवी पत्नि ग्यासीराम जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई।
6. प्रहलाद पुत्र बतासी जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई।

—असल अप्रार्थीगण

7. गुड्डी देवी पुत्र रामजीत जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई।
8. प्रभाती पुत्र गोविन्दा जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई।
9. बीरबल पुत्र गोविन्दा जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई।
10. भगवान सिंह पुत्र खरगी जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई।
11. रामकुमार पुत्र गोविन्दा जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई।
12. रामवीर पुत्र रामजीत जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई।
13. विजय सिंह पुत्र खरगी जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई।
14. शिवचरन पुत्र मंगू जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई।
15. हरवती पत्नि रामजीत जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई।
16. रबी पुत्र बृजेन्द्र जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई।
17. शीला पत्नि बृजेन्द्र जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई।

उपस्थित अधिवक्ता श्री लक्ष्मण सिंह एडवोकेट प्रार्थी की तरफ से
श्री भरतलाल एडवोकेट अप्रार्थी की तरफ से

:: **निर्णय** :: **प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट**

1. यह है कि आराजी खसरा न. 3688 रकवा 0.10 है., वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई में स्थित है तथा उक्त आराजी के 1/9 हिस्से का प्रार्थी सहखातेदार है तथा मनवट से अन्य आराजी के साथ—साथ प्रार्थी उक्त आराजी पर पुराने समय से काबिज चला आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

2. यह है कि आराजी खसरा नम्बरान 3557 रकबा 0.24, 3561 रकबा 0.09, 3562 रकबा 0.09, 3563 रकबा 0.17, 3564 रकबा 0.05, 3565 रकबा 0.09, 3670 रकबा 0.09, 3671 रकबा 0.10, 3684 रकबा 0.10, 3688 रकबा 0.10 किता 12 कुल रकबा 1.35 हैक्टे. वाके ग्राम तहसील घेरा में स्थित है। जिसमें अन्य आराजी के साथ–साथ प्रार्थी खसरा नम्बर 3688 रकबा 0.10 हैक्टे. वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई पर पर वाहिद रूप से मनवट से काबिज चला आ रहा है।

3. यह है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3688 रकबा 0.10 हैक्टे. वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई के दक्षिण में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की सहखातेदारी का खसरा नम्बर 3687 रकबा 0.31 वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई में स्थित है। जिसमें प्रार्थी की सहखातेदारी व मनवट से आये खसरा नम्बर 3688 के दक्षिण में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 ने खसरा नम्बर 3687 वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई में मकान बना रखा है तथा उक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 ने दिनांक 04.06.2025 को प्रार्थी की खातेदारी व मनवट से प्राप्त आराजी खसरा नम्बर 3688 वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई की डौर मिटा दी है। तथा जबरन कब्जा करने की धमकी दी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी खातेदारी व मनवट से प्राप्त आराजी खसरा नम्बर 3688 रकबा 0.10 हैक्टे. वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई की आराजी का पैमाइश कर सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराने का अधिकारी है।

4. यह है कि तर0 अप्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 17 के मौके पर उपस्थित न होने से तर0 अप्रार्थी बनाया गया है। सहखातेदार बृजेन्द्र की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिस तर0 अप्रार्थी संख्या 16 व 17 को पक्षकार बनाया गया है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128, 111 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी व मनवट से आयी आराजी विवादित आराजी खसरा नम्बर 3688 रकबा 0.10 हैक्टे. वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई की पैमाइश कर सीमाज्ञान कर व पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो/प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स. 5 व 6 की से श्री भरत सिंह एडवो0 द्वारा उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में आराजी खसरा नं0 3698 रकबा 0.18 हैक्टेयर वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई में होना स्वीकार है।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 03 जिस प्रकार वर्णित की गई है।उसमें वादी प्रार्थी 1/9 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से के अप्रार्थीगण संख्या 07 लगायत 17 सहखातेदार है। जिसमें प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी मुतदाबिया में मनवट के आधार पर कब्जे में होना खसरा नम्बर 3698 में बताया गया है। बिल्कुल गलत है। क्योंकि प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त माना गया हैं। ऐसी सूरत में जब तक प्रार्थी उक्त आराजी मुत0 का कानूनी विभाजन नहीं करा लेता

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

है। तबतक प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय श्रीमानजी द्वारा किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का अधिकारी नहीं है और न ही कोई पैमाइश व पत्थरगढी करा सकता है।

3. यह है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 04 स्वीकार नहीं है। प्रार्थी की सामलात खसरा नम्बर 3698 जोकि अप्रार्थीगण की खातेदारी का खसरा नम्बर 3687 से सटा हुआ है। जिसमें अप्रार्थीगण के रिहायशी मकान आज से करीबन 35–40 साल से बने हुए है। जो कि आवादी से सटे हुए है। अप्रार्थीगण के मकानात के लिए आवागमन हेतु रास्ता प्रार्थी की सामलात खसरा नम्बर 3698 में होकर है। अप्रार्थीगण का न्यायालय श्रीमान में प्रार्थी के विरूद्ध धारा 251 राज. टी . एक्ट के तहत न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। जिसमें कानूनन रास्ता दिलाये जाने बाबत प्रार्थना चाही गई है। उक्त 251 के प्रार्थना पत्र को दरकिनार करने की नीयत से प्रार्थी ने अप्रार्थीगणों के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111 एल. आर.एक्ट के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।

4. यह है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3698 वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई जो गांव की आबादी से सटा हुआ है। जो सामलात प्रार्थी व तर0 अप्रार्थीगण की सामलात खातेदारी की आराजी है। जब तक प्रार्थी उक्त आराजी व अन्य सामलात का विभाजन नहीं करा लेता है। तब तक प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त कानूनन निहित है।कानून के तहत मनवट वाली बात गलत है।

5. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 3698 से अप्रार्थीगण की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 3687 सटा हुआ है। जिसमें अप्रार्थीगण के करीबन 35–40 साल पूर्व से रिहायशी मकान बने हुए है।उक्त रिहायशी मकान के आवागमन हेतु प्रार्थी की सामलात भूमि की मेढ से सटकर रास्ता है। जिसमें अप्रार्थीगण आते–जाते है।कानूनन रास्ता दिलाये जाने हेतु न्यायालय में अप्रार्थीगण की तरफ से प्रार्थी के विरूद्ध 251 का प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित है। प्रार्थी न्यायालय हाजा में क्लीन हैन्ड से नहीं आया है।

अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया जबाव प्रार्थन पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबंदी संबत 2073–76 वाके ग्राम घेरा एवं प्रमाणित प्रतिलिपि मौका पर्चा तहसील नदबई बाबत खसरा नं0 3688 दिनांक 21.05.2025 पेश किये गये।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिवक्ताओ की ओर से बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. के तहत सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया।

हमने उभयपक्षकरान के विद्वान अधिवक्ताओ कि बहस पर मनन क्रिया गया पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा न. 3688 रकवा 0.10 है., वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई में स्थित है तथा उक्त आराजी के 1/9 हिस्से का प्रार्थी सहखातेदार है तथा मनवट से अन्य

उपखण्ड अधिकारी

आराजी के साथ–साथ प्रार्थी उक्त आराजी पर पुराने समय से काबिज चला आ रहा है। अप्रार्थी वकील की ओर से अपने जबाव में विवादित खसरा नम्बरान का उल्लेख नहीं किया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 3688 रकवा 0.10 हैक्टे. वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई के दक्षिण में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की सहखातेदारी का खसरा नम्बर 3687 रकवा 0.31 वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई में स्थित है। तहसीलदार नदबई की मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नं0 3688 रकवा 0.10 हैक्टे. का सीमाज्ञान दिनांक 21.05.2025 को किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 21.05.2025 का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एलआर एक्ट बाबत् पैमाईश करवाकर सीमा चिन्हित कर मुड्डी गढाई स्वीकार किया जाता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र 128 एलआर एक्ट स्वीकार करते हुये धारा 111 के अधिकारों का उपयोग करते हुये तहसीलदार नदबई को आदेशित किया जाता है कि आप विवादित आराजी खसरा न. 3688 रकवा 0.10 है. वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई की आराजीयात से लगते हुए समस्त काश्तकारों को विधिवत रूप से पूर्व में सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में पैमाइश कर पत्थरगढी किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 6/8/2026 को न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते